

प्रेस नोट दिनांक 16.04.2024

➡ इटावा पुलिस थाना बलरई

➡ “ऑपरेशन कन्विकशन” इटावा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते मा0 न्यायालय इटावा द्वारा 01 अभियोग में सुनाई गयी सजा एवं दिया गया अर्थदंड ।

1.थाना बलरई पर पंजीकृत मु0अ0सं0 237/2017 धारा 60 EX ACT अभियुक्त गजेन्द्र उर्फ छुट्टे पुत्र सुघर सिंह को आज दिनांक 16.04.2024 को अन्तर्गत धारा 60 EX ACT मा0 न्यायालय अपर सिविल जज (जू0डि0) कोर्ट इटावा द्वारा 1000 /- रुपये का अर्थदंड दिया गया ।

सजायफ्ता अभियुक्त-

1. लाखन बघेल पुत्र रामकिशन बघेल निवासी इमिलिया थाना घटी गांव जनपद ग्वालियर ।